यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून** के माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09-01-2019 से 14-01-2019. तक श्री बी. डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रमोद कुमार चौधरी वरिष्ठ लेखा परीक्षक के द्वारा श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11/12/2017 से 21/12/2017 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 01/2013 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद देहरादून के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू०	बचत (-) रू०
	स्थापना रू०	गैर स्थापना	आवंटन रू०	व्यय रू०	आवंटन रू०	व्यय रू०		
2015-16	शून्य	शून्य	162.58	158.26	47.94	45.47	-	6.79
2016-17	शून्य	शून्य	211.00	189.29	107.94	105.26	-	24.39
2017-18	शून्य	शून्य	418.74	242.17	100.00	34.15	-	242.42
2018-19 (Upto Dec. 2018)	शून्य	शून्य	814.02	285.53	160.00	144.57	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Dec. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत वित्तीय नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति स्तर से प्राप्त किए जाते हैं। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. आयुक्त 3. अपर आयुक्त 4. संयुक्त आयुक्त 5. वित्त नियन्त्रक 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 : खाद्यान भंडारों को खाद्यान का अनियमित आबंटन।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का आबंटन राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अंत्योदय तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं। अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 35 किग्रा॰ खाद्यान (13.30 किग्रा॰ गेहूं, 21.70 किग्रा॰ चावल) तथा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 05 किग्रा॰ खाद्यान (दो किग्रा॰ गेहूं, तीन किग्रा॰ चावल) आबंटित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 12/2017 से 12/2018 में अंत्योदय तथा प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत सभी आंतरिक गोदामों को खाद्यान का आबंटन निम्न तालिका के अनुसार किया गया था-

गेहूं का आबंटन

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**कार्ड धारकों की संख्या**	**मानक के अनुसार गेहूं का आबंटन(कार्डस x 0.133 कुंतल x माह)**	**वास्तविक आबंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी (कुंतल में)**
अंत्योदय **योजना**	12/2017 से 03/2018	11707	6228.124	5731.08	497.044
	04/2018 से 12/2018	11707	14013.279	13201.90	811.379
योग			20241.403	18932.98	1308.423
प्राथमिक परिवार		यूनिटों की संख्या	**मानक के अनुसार गेहूं का आबंटन (यूनिटों की संख्या x 0.02 कुंतल x माह)**		
	12/2017 से 03/2018	479410	38352.80	35322.16	3030.64
	04/2018 से 12/2018	479410	86293.80	81830.80	4463.00
योग			124646.60	117152.96	7493.64

अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत सभी आंतरिक गोदामों को वर्ष 12/2017 से 12/2018 में चावल के आबंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी-

चावल का आबंटन

योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष**	**कार्डों धारकों की संख्या**	**मानक के अनुसार चावल का आबंटन (कार्ड संख्या x 0.217 कुंतल x माह)**	**वास्तविक आबंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी/अधिकता/ (कुंतल में)**
अंतयोदय योजना	12/2017 से 03/2018	11707	10161.676 11707x0.217x4 माह	9318.97	(-) 842.706
	04/2018 से 12/2018	11707	22863.771	21535.143	(-) 1328.628
योग			33025.447	30854.113	2171.334

		यूनिटों की संख्या	**मानक के अनुसार चावल का आबंटन (यूनिटों की संख्या x 0.03 कुंतल x माह)**		
प्राथमिक परिवार	12/2017 से 03/2018	479410	57529.20	59740.39	(+) 2211.19
	04/2018 से 12/2018	479410	129440.70	135699.98	(+) 6259.28
योग			186969.90	195440.37	8470.47

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत वर्ष 12/2017 से 12/2018 में आंतरिक गोदामों को 1308.423 कुंतल गेहूं कम आबंटित होने से 820 कार्ड धारक (1.596 कु॰ प्रति वर्ष प्रति कार्ड की दर से) प्रभावित हुये तथा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत वर्ष 12/2017 से 12/2018 में आंतरिक गोदामों को 7493.64 कुंतल गेहूं कम आबंटित किए जाने से 31223 लाभार्थी (0.24 कु॰ प्रति वर्ष प्रति कार्ड की दर से) प्रभावित हुये। इसके अतिरिक्त अंत्योदय योजना के अंतर्गत वर्ष 12/2017 से 12/2018 में आंतरिक गोदामों को 2171.334 कुंतल चावल कम आबंटन होने से 834 कार्ड धारक (2.60 कु॰ प्रति वर्ष प्रति कार्ड की दर से) प्रभावित हुये। पुनः देखा गया कि प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत वर्ष 12/2017 से 12/2018 में आंतरिक गोदामों को 8470.47 कुंतल चावल अधिक आबंटित किया गया जिससे प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मात्रा से अधिक मात्रा में चावल का आबंटन किया गया जो कि एक गंभीर अनियमितता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आबंटन सही तरीके से किया जायेगा। प्राथमिक परिवार योजना में शासनादेश 2016 के अनुसार खाद्यान का आबंटन किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार सभी कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यानों का आबंटन/ वितरण होना आवश्यक है तथा आबंटन में कमी अथवा आधिक्य स्वीकार्य नहीं है।

अतः खाद्यान भंडारों को खाद्यान का अनियमित आबंटन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2: पेट्रोल पम्पों द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जांच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों के मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग 'क' परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि॰ के अपने मानकों के अनुसार करना होगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून में पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया जनपद में 104 पेट्रोल पम्प संचालित थे, जिसकी विभाग द्वारा पेट्रोल पम्पों की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी। पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्युत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच भी विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी। कार्यस्थल पर अनुमोदित प्लान में फेरबदल किए जाने की जाँच विभाग द्वारा नहीं की जा रही थी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में प्रकरण की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वर्तमान में पैट्रोल पम्पों के नोजलों की जांच नहीं की जा रही है, भविष्य में जांच की जायेगी। निर्धारित शर्तों के अनुसार पेट्रोल पंपों की जांच नहीं की जा रही है भविष्य में की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी की स्वीकारोक्ति यह दर्शाती है, कार्यालय के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार पेट्रोल पंपों की जांच नहीं की जा रही थी तथा निर्धारित सीमा से अधिक नोजल लगाए जाने से संबन्धित भी कोई जाँच नहीं की गयी और पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों के मालिकों को को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 03 : जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने का कार्य जून 2017 तक पूर्ण कर लिया जाये जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित (मई 2017) किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग तथा इनका डिजिटैजेशन जून 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में अभी तक कुल 371942 राशन कार्डों में से 28747 राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था तथा 1639880 यूनिटों में से 446870 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था। उक्त राशन कार्डों/ यूनिटों को बिना आधार सीडिंग के खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अन्तर्गत मुखिया के 92.27 प्रतिशत तथा युनिटों का 72.75 प्रतिशत आधार सीडिंग लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था आधार सीडिंग की प्रक्रिया जारी है भविष्य में जल्द ही पूर्ण कर ली जायेगी।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष जून 2017 के तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा दिसम्बर 2018 तक 28747 कार्डों तथा 446870 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया था।

अतः जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
149/2017-18	शून्य	01	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या विभाग द्वारा तैयार नहीं की गयी एवं आश्वस्त किया गया कि उच्च अधिकारियों की संस्तुति के उपरांत अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या, चयनित माह के वाउचर तथा चालान एवं देहरादून गोदाम के अभिलेख ।
4. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य
5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	श्री बिपिन कुमार	जिला पूर्ति अधिकारी	जुलाई 2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.